राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

—: आवश्यक सूचना :—

(विज्ञापन सं०—03/2021)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (NUHM) के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (UPHCs) हेतु Medical Officer-Full Time एवं Medical Officer-Part Time के संविदागत पदों पर चयन/नियोजन के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 03/2021 के द्वारा दिनांक 21.02.2021 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये MBBS की परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार मानकर Merit के आधार पर Shortlist किया गया है। चुँकि Medical Officer-Part Time के कुल 103 रिक्तियों के विरूद्ध 224 अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, अतएव इस पद हेतु सभी अभ्यर्थियों का Document Verification/ Counselling किया जाना है तथा Medical Officer-Full Time के लिए Merit के आधार पर रिक्ति के अनुसार 1:5 के अनुपात में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का Document Verification/Counselling किया जाना है, जिसे वेबसाईट statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है। सभी संबंधित प्रमाण—पत्रों के सत्यापनोपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में वैश्विक कोरोना (COVID-19) महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए DV (Document Verification) हेतु आवश्यक प्रमाण—पत्रों की जाँच हेतु सभी अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन हेतु अपने वांछित प्रमाण—पत्रों को अभ्यर्थी को आवेदन भरते समय उपलब्ध कराये गये User ID (Application No.) एवं Password (Date of Birth) का उपयोग करते हुए Login के माध्यम से दिनांक **07/05/2021 से 13/05/2021 तक** अपलोड कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. Shortlisted अभ्यर्थी उक्त तिथि तक निम्नांकित सभी प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति अनिवार्य रूप से User ID एवं Password से Login कर अपलोड करना सुनिश्चित करें :—

(i) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र।

(ii) Essential Qualification - से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण—पत्र

<u>Medical Officer – Full Time</u>

<u>Essential Qualification</u> –

- MBBS से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण—पत्र।
- योगदान के पूर्व Bihar Council of Medical Registration अथवा Medical Council of India/National Medical Commission से प्राप्त निबंधन संबंधित दस्तावेज।

<u>Medical Officer – Part Time</u>

<u>Essential Qualification</u> –

- MBBS से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण—पत्र।
- योगदान के पूर्व Bihar Council of Medical Registration अथवा Medical Council of India/National Medical Commission से प्राप्त निबंधन संबंधित दस्तावेज।

(iii) फोटोयुक्त पहचान—पत्र, यथा— मतदाता पहचान—पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि।

(iv) आरक्षण का दावा करने संबंधित प्रमाण—पत्र। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र तथा क्रिमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र।

(v) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण—पत्र (अगर लागू हो)।

(vi) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण—पत्र (अगर लागू हो)।

4. आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है –

(i) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीद्वारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है)।

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबधी घोषणा–पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।

(vi) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Counselling हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र (अगर लागू हो)।

(viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र (अगर लागू हो)।

5. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, **Cut-off date** (01.01.2021) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

6. उक्त प्रमाण पत्र के सत्यापन के आधार पर Merit List तैयार किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय सभी आवष्यक प्रमाण–पत्रों के मूल प्रति का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। अगर मूल प्रति से सत्यापन के क्रम में कोई भी प्रमाण–पत्र अमान्य पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

7. दिनांक 07/05/2021 से 13/05/2021 तक User ID (Application No.) एवं Password (Date of Birth) से Login कर जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सत्यापन हेतु अपने प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी एवं फलस्वरूप उन्हें मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

8. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट–statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

(सुमन प्रसाद साह) 06/05/2021

प्रशासी पदाधिकारी,